

University of Allahabad Faculty of Law

Please visit aupraveshtest2017.cbteexam.in OR Admission-2017 link www.allduniv.ac.in for more details.

LL. M. Admission Test-2017 Session: 2017-18

Important event	Dates / Time
Online Registration and Submission process begins	21 April 2017
Last Date of Submission of Online Registration	13 May 2017
Last date to deposit fees and submission of form ONLINE	13 May 2017
Date of Downloading Admit Cards Online only	From One week before the date of examination
Date of Entrance Test	09 June 2017 (Friday)

The applicant must take due care while filling up the Online Application Form. The information provided by the applicant in his/her Online Application Form shall not be changed or altered in any case and the University will not entertain such request under any circumstance. The University shall not be liable for any mistake made by the applicant.

There is no provision of revaluation/scrutiny.

The information provided and the data supplied by the applicant through Online Registration Application Form shall be preserved in the University for a period of only 90 days from the date of the declaration of the result of Entrance/Admission Test. The records will be disposed off after the said period and no enquiry shall be entertained in this regard by the University after the expiry of the said period. The University shall use this data for various purposes; hence, in no case shall any change be allowed at a later stage. Therefore, all the information must be furnished correctly, completely and clearly by the applicant himself/herself as per the instructions given in the brochure/website aupraveshtest2017.cbteexam.in OR Admission-2017 Link www.allduniv.ac.in

Eligibility Information:

1. The candidate must have obtained Law Graduate Degree from any University recognized by U.G.C. and the candidate should have obtained at least 45% marks in the aggregate in the said class candidates who have appeared in Law Graduate (Final Year) are also eligible to apply and appear in the LL.M. Admission Test-2017. However such a candidate will have to produce his or her final year mark sheet as a proof of passing LL.B. (Final Year) examination on or before the date of admission, failing which their claim to admission shall stand forfeited.
2. For admission to LL.M. preference shall be given to fresh Law graduates (i.e. candidates who have passed the qualifying law graduate examination for the immediately preceding academic year) over law graduates of earlier years. Accumulative deduction at the rate of 5% of the marks obtained in the Entrance Test shall be made for every gap year in case of earlier Law graduates, subject to maximum deduction of 15%.
3. Prospectus/Forms are available Online only on the website aupraveshtest2017.cbteexam.in OR Admission-2017 link of www.allindiauniv.ac.in for downloading and submission of form.
4. The Admission Test shall be conducted **Online as well as Offline mode** and shall have objective type/multiple choice questions only.
5. The Admission Test shall have **150 objective type/ multiple choice questions** and shall be of two hours duration.
6. **The question paper shall have 150 Objective type / multiple choice questions. The paper is divided into two parts, Part-A contains 50 Questions related to General Legal Awareness and Legal Aptitude & Part-B contains 100 questions related to the following subjects.**
 - (i) Constitutional Law of India, (ii) Jurisprudence, (iii) Law of Contract/Mercantile Law, (iv) Criminal Law, (v) Law of Torts. (vi) Hindu Law, (vii) Muslim Law, (viii) Public International Law and Human Rights, (ix) Labour Law, (x) Property Law.
7. Each objective type/ multiple choice question shall carry **Two Marks (2.0)** only.
8. For each right answer the candidate shall be awarded **Two Marks (2.0)** whereas for each wrong answer **Half Mark (0.5)** shall be deducted.
9. The Admission shall be done in accordance with the uniform policy for P. G. Admissions-2017 prevailing at the time of the admission.
10. The amount paid by the candidate to the University as the Registration/Test-fee will not be refunded or carried over under any circumstance.
11. The candidate shall fill all the required entries (including his signature) on the form otherwise the form shall be considered as incomplete and be liable to be rejected even after being received and processed by the University of Allahabad.
12. The candidate shall be responsible for the veracity of all the entries in the Registration Form.

13. Once a Form has duly been submitted to the University, the candidate shall not be entitled or permitted to make any addition, deletion or alteration in respect of any entry therein and the Form shall not be permitted to be transferred / used for any course other than LL.M.
14. Carrying any other material, except Admit-card and black/blue ballpoint pen, in the Examination hall shall be treated as unfair means.
15. The number of seats in the Course is 62 for Faculty of Law, University of Allahabad, 30 Seats for CMP Degree College and 30 seats for Allahabad Degree College respectively.
16. **NCC Weightage:** A weightage of 5 % shall be added to the score obtained by the candidate in the Admission Test / Entrance Test, who holds the 'C' certificate of the National Cadet Corps (NCC).
17. **Physically Challenged Quota :** A candidate who has a certified disability of not less than 40 % in any limb or in orthopedic structure which, in the opinion of the Medical Board (constituted by the University of Allahabad), amounts to an overall physical handicap of not more than 70 % or is a Visually impaired or a Hearing impaired , may be admitted to the concerned course / subject, irrespective of his position in the order of merit of the total aggregate score, on the recommendation of the Medical Board, subject to the condition that number of such candidates shall not exceed 3 % (1% Hearing impaired, 1% visually impaired and 1% Orthopedic disability and Cerebral palsy) of the total seats in the respective course / subject. The privilege shall not be given except claimed by the candidate at the time of application. At the time of admission the candidate shall be required to produce a certificate issued by the Chief Medical Officer of the appropriate District or by the Viklang Kendra, Allahabad, which testifies to his disability and bears an attested photograph indicating his / her disability clearly.
 - 17 a. All candidates entitled to be admitted under the above quota to a course shall be adjusted against their respective social category.
 - 17 b. Seats under Physically Handicapped quota shall be filled in order of preference given below ;
 - (I) Visually impaired
 - (II) Hearing impaired
 - (III) Orthopedic disability
 - 17 c. Seats of each category given in 17.b.(I), (II) & (III) shall be filled on the basis of order of merit of the candidates in the Admission Test."
18. Reservation Rules of the University which are in force shall also apply to the LL.M. Admissions.
19. All the candidates belonging to unreserved category are required to attain 30% of the maximum marks of the respective test to qualify and to get admission in the course applied for. All candidates of OBC category are require to attain 27% of the maximum marks of the respective test to qualify and to get admission in the course applied for. However, there is no qualifying marks for SC/ST candidates.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. The LL.M. Course shall be of two years duration which shall be divided into Four Semesters. It shall be based on CBC System prevalent in the University.
2. At the time of the admission the candidates must possess a pass degree of the undergraduate law course.
3. At the time of admission the candidate must deposit his Migration Certificate / Transfer Certificate at the counter after filling up the prescribed form.
4. A candidate must get himself enrolled in the university and department after admission to course so that his name may be mentioned in the class register.
5. After admission the candidates must get an I-card prepared immediately.
6. After passing the IInd Semester and/ or IVth Semester the student shall deposit the requisite fee within 15 days of the declaration of result in the University. After deposition the fee he must get his I-card prepared for the next session in Proctor Office.
7. He shall also be required to report in the Department and get his name registered in the class register along with a copy of fee receipt and mark sheet; otherwise his name shall not be forwarded to Controller of Examinations.
8. Student shall be required to attend the classes regularly as per the classes allotted to them in the time table.
9. No student shall be allowed to appear in the exam if they fail to attend 75% of the classes as per Bar Council and UGC Rules.

Help Desks Number

Toll Free No. : 18001806261

Mobile No. : 9455874516

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
विधि संकाय
एलएल.एम. प्रवेश परीक्षा-2017
प्रवेश सत्र 2017-18

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट aupravesh2017.cbtextam.in या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in देखें।

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन पंजीकरण एवं प्रवेश आवेदन पत्र का प्रारम्भ	21 अप्रैल 2017
ऑनलाइन पंजीकरण की अन्तिम तिथि	13 मई 2017
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	13 मई 2017
ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि	परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व से
प्रवेश परीक्षा की तिथि	09 जून 2017 (शुक्रवार)

आवेदन करने से पूर्व प्रवेशार्थी को विवरणिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की हेतु वेबसाइट aupravesh2017.cbtextam.in या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in के निरीक्षण की सलाह दी जाती है। जिसमें इस संबंधन में सभी पर्व अपेक्षाएं और मागदर्शन समाहित हैं।

प्रवेशार्थी को प्रवेश पत्रक आनलाइन सावधानी से भरना है। आनलाइन पत्रक जमा करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। विश्वविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा (स्क्रुटनी) या पुनर्मूल्यांकन (रीवैल्यूएशन) की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रवेशार्थी आनलाइन पंजीकरण पत्र में प्रविष्टि जानकारी प्रवेश परीक्षाफल के घोषणा करने के 90 दिवस तक की सुरक्षित रखा जाएगा। उसके उपरान्त उसे विनियमित कर दिया जाएगा उससे संबन्धित किसी भी जानकारी नहीं दी जा सकेगी। विश्वविद्यालय इस जानकारी का उपयोग कई उद्देश्यों हेतु करेगा। इसमें परिवर्तन संभव नहीं होगा। अतः सम्पूर्ण प्रविष्टियों को सही एवं पूर्णतः सावधानी से

वेबसाइट aupravesh2017.cbtextam.in या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर दिये गये निर्देश के अनुसार प्रविष्ट करें।

नोट :- आनलाइन शुल्क रु. 700/—(सात सौ रुपये मात्र) किन्तु अनु.जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग अभ्यर्थियों हेतु रु. 350/—(तीन सौ पचास रुपये मात्र) है।

अर्हता

- 1— एल.एल.एम. में प्रवेश परीक्षा 2017 हेतु यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निधि में स्नातक अभ्यथी जिसने न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत प्राप्त किया है, अर्ह होंगे। अर्हकारी परीक्षा (विधि त्रिवर्षीय वर्ष या पंचवर्षीय) के अन्तिम वर्ष के छात्र जिनका परीक्षा का परीक्षाफल प्रतीक्षित है, वे भी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। किन्तु अभ्यर्थी को उक्त अर्हकारी परीक्षा को प्रवेश तिथि तक या उसके पूर्व 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। अनुत्तीर्ण होने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा तथा वे प्रवेश हेतु अनर्ह माने जायेंगे।
- 2— एल.एल.एम. में प्रवेश हेतु विधि में नवस्नातक (अर्थात् जिन्होंने प्रवेश सत्र से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है) को उससे पूर्व वर्षों के विधि स्नातक के प्रवेश परीक्षा प्राप्तांक से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से व्यतीत प्रति सत्र हेतु प्राप्तांक से 5 प्रतिशत की दर से अपक्षय द्वारा 15 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक कटौती की जाएगी।
- 3— आनलाइन प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र वेबसाइट aupravesh2017.cbtextam.in या विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर उपलब्ध होंगे।
- 4— प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दिनांक 8 जून 2017 को आनलाइन एवं आफलाइन करायी जाएगी। अभ्यर्थी किसी एक माध्यम का चुनाव कर सकता है।
- 5— प्रवेश परीक्षा कुल 150 बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी।
- 6— प्रश्न-पत्र 150 बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी, जो सामान्य विधिक अभिज्ञान एवं विधिक अधिष्मता से संबंधित 50 प्रश्न होगा एवं निम्नलिखित विषयों से संबंधित 100 प्रश्न होंगे —
 - भारतीय सांविधानिक विधि
 - विधि शास्त्र
 - संविधा विधि/वाणिज्यिक विधि
 - अपकृत्य विधि
 - हिन्दु विधि
 - मुस्लिम विधि
 - अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार
 - श्रम विधि
 - सम्पत्ति विधि
- 7— प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंकों के होंगे।

- 8— प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किया जायेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जायेगी।
- 9— विश्वविद्यालय के समस्त स्नातकोत्तर प्रवेशार्थियों/अभ्यर्थियों पर प्रभावी प्रवेश परीक्षा 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 10— प्रवेशार्थी द्वारा अदा की गयी प्रवेश परीक्षा/पंजीकरण शुल्क की राशि को किसी भी परिस्थिति में प्रत्यावर्तित (रिफ़न्ड) या अग्रगमन (कैरी फॉवर्ड) नहीं किया जाएगा।
- 11— प्रवेशार्थी आनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक करें अन्यथा आवेदन पत्र अपूर्ण माने जायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे निरस्त किया जाएगा। प्रवेशार्थी को अपने हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ की स्कैन कापी अपलोड करना होगा।
- 12— पंजीकरण पत्र/आनलाइन प्रवेश आवेदन पत्रक से भरी गयी सभी प्रविष्टियों के लिए आवेदनक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 13— आनलाइन पत्रक जमा करने के पश्चात् उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा। प्रवेशार्थी को यह अधिकारी या अनुमति नहीं होगी कि वह उसमें या उसके किसी भाग में नवीन, अतिरिक्त प्रविष्टि /पत्रजात का समावेश करे या किसी विद्यमान प्रविष्टि पत्रजात का निरसन/परिवर्तन करे तथा प्रपत्र को किसी ए.एल.एम. से भिन्न पाठ्यक्रम हेतु प्रयुक्त/स्थानान्तरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 14— परीक्षा में प्रवेश परीक्षा पत्रक एवं काली/नीली कलम के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ले जाना अनुचित साधन माना जायेगा।
- 15— प्रवेश परीक्षा विधि संकाय, इ.वि.वि. में 62 सीटों, सी.एम.पी. एवं इलाहाबाद डिग्री कालेज की 30-30 सीटों के लिए कराई जायेगी।
- 16— यदि प्रवेशार्थी एन.सी.सी. से सी-प्रमाण पत्र का धारक है तो उसके प्राप्तांक का 5 प्रतिशत अधिलाभ अनुमन्य होगा।
- 17— **दिव्यांग कोटि :** पाठ्यक्रम के स्वीकृति स्थानों के 03 प्रतिशत की अधिकृत सीमा तक प्रवेशार्थी (1) जिसकी किसी अंग या अस्थि रचना (आर्थोपीडिक स्ट्रक्चर) में न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता है, जो मूल्यांकन समिति के मतानुसार न्यूनतम 70 प्रतिशत की समग्र शारीरिक अक्षमता (ओवरऑल फिजिकल डिसेबिलिटी) का निर्धारण करती है या (2) जो प्रमाणित नेत्रहीन (ब्लाइंड) है अथवा (3) जो सुनने में असमर्थ है, तथा एल.एल.एम. पाठ्यक्रम का कठिनाई के बिना अध्ययन कर सकता है। यह विशेष सुविधा तभी अनुमन्य होगी जबकि अभ्यर्थी ने प्रवेश आवेदन प्रपत्र में इसका दावा किया है तथा उसने उपर्युक्त के मुख्य राजकीय चिकित्सा अधिकारी या विकलांगता प्रमाण-पत्र (जिसमें विकलांगता को स्पष्ट दर्शाता हुआ उसका फोटो भी है) प्रवेश के समय प्रस्तुत किया है।
- 17 (क)— विशेष सुविधाओं के अधीन प्रविष्ट प्रवेशार्थियों को उनके सामाजिक कोटि के अनुसार आरक्षित स्थानों पर समायोजित किया जाएगा।
- 17 (ख)— दिव्यांग श्रेणी के लिए आरक्षित सीट वरीयता क्रम में नीचे दिये गये हैं।
- (अ) दृष्टिदोष
- (आ) श्रवणदोष
- (इ) अस्थि अक्षमता

- 17 (ग)– 17(ख) (अ), (आ) तथा (इ) में वर्णित सीटों पर प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के मेरिट के अनुसार किया जाएगा।
- 18– विश्वविद्यालय में प्रभावी आरक्षण के नियम एल.एल.एम. प्रवेश पर भी लागू होंगे।
- 19– न्यूनतम अर्हता अंक – अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अर्ह होने एवं संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा के अधिकतम प्राप्तांक का 30 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में अर्ह होने एवं संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा के अधिकतम प्राप्तांक का 27 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य है। अनु.जाति / अनु.जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इससे सम्बन्धित कोई बाध्यता नहीं है।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. एलएल.एम. पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधि का होगा जो चार सेमेस्टर में विभाजित होगा। यह विश्वविद्यालय में प्रभावी सी.बी.सी. पद्धति पर आधारित होगा।
2. प्रवेश के समय प्रवेशार्थियों के पास विधि स्नातक उत्तीर्ण होने की डिग्री होना आवश्यक है।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अपना माइग्रेशन/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।
4. प्रवेश के बाद प्रवेशार्थी को विश्वविद्यालय के विधि विभाग में नामांकन कराना आवश्यक है, जिसमें कि उसका नाम कक्षा के रजिस्टर में पंजीकृत किया जा सके।
5. प्रवेश के बाद अभ्यर्थी को अपना परिचय पत्र तत्काल बनवाना होगा।
6. द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम के बाद 15 दिनों के अन्दर छात्र को अपनी फीस जमा करनी होगी तथा कुलानुशासक कार्यालय में अपना नया परिचय पत्र बनवाना होगा।
7. छात्र को तृतीय सेमेस्टर में विभाग में नामांकन करना होगा जिसके लिए उसे अपने अंकपत्र की मूल एवं छायाप्रति तथा फीस रसीद भी दिखानी होगी अन्यथा उसका नाम परीक्षा नियन्त्रक के कार्यालय में प्रेषित नहीं किया जायेगा।
8. छात्र से अपेक्षित है कि वह नियमित कक्षाओं में उपस्थिति दर्ज करायेगा और समय सारणी के अनुसार कक्षा में उपस्थित होगा।
9. जिन छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी (जो बी.सी.आई. तथा यू.जी.सी. नियमों के अनुसार निर्धारित है) उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

Help Desks Number

Toll Free No. : 18001806261

Mobile No. : 9455874516